

खण्ड विकास अधिकारी का पत्र

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का खोला नंबर 129 में पूर्ण है।  
 आवेदन: S.H.P. उपरोक्त स्थिति प्रचार स्वीकृत करने की संसुति को जारी है।  
 (ब) मेरे द्वारा खण्ड की जांच का कार्य पूर्ण है। खोला पूर्णतः सफल है आवेदन: विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संसुति को जारी है।

हस्ताक्षर  
 खण्ड विकास अधिकारी  
 दिनांक 12/10/2022

श्री कुंठा लाल शिवारी को  
 (1) श्री ग्राम बोहडा ब्लॉक सखवा च.प.म.  
 डा. महन्दापुर तहसील सखवा

- (2) मैं/हम अपने नाम निम्न नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/हैं।
- (3) यह है कि यह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई खर्च बिना पचा गया हो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
- (4) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकामन मुक्त/प्रारम्भिक मुक्त बना करने को तैयार हूँ/हैं।
- (5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।
- (6) मेरा/हमारा स्वयं का रापय पत्र संलग्न है।
- (7) यह खातेदारों का रापय पत्र संलग्न है।
- (8) फोटो प्रमाणित है।
- (9) खसरा, खतौनी संलग्न है।
- (10) विद्युत का पूर्ण का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बिना बकाया हो या कोई विलीनित आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही सम्पन्न हो।
- (11) प्रारम्भ पत्र सारांश स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग को जारी योजना आदेश प्रभावों होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुबन्ध न करने पर प्रारम्भ पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- (12) मैं पूर्ण तथा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन मे मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर.....

आवेदन का नाम कुंठा लाल शिवारी हस्ताक्षर

(प्रधान/ब्लॉक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम श्री कान्त

नाम.....

पता ग्राम बोहडा रेबी रत्नालीपुर  
सखवा च.प.म. 230502

पता.....



# विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

## अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रूपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

1. मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निम्नलिखित-भू- गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) की .../... प्रक्रिया/प्रक्रिया के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त... अश्वशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं/ उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्षानुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से किसी ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो।
2. मैं/ हम एतद् द्वारा समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त संभरण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमाउन्ट) जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रेतर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूमि (गारण्टी) परिचय (चार्ज) में जो भी कमी आदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जब बिल के देरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी।
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समान को ले जाने के लिये वचनबद्ध होता हूँ होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचन बद्ध नहीं होते हैं।
6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त संभरण की दरों और शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। हम, एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त संभरण की शर्तों को पालन करूंगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् वर्ती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूंगा/करेंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट 1948 तदन्तर्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिकसिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आवड हूँ/होंगे।
7. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) को संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आपेक्षित सीमेंट की व्यवस्था